

नोटिस

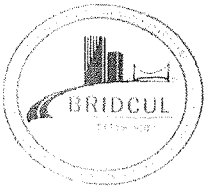
निगम में विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 को निगम के निदेशक मण्डल की 52वीं बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसके क्रम में निगम में विनियमित किये जाने हेतु निम्नलिखित 1 कार्मिक अर्ह पाए गए हैं:-

क्रम सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	भर्ती का माध्यम	नियुक्ति तिथि
1.	श्री मुकेश चन्द्र उप्रेती	लेखाकार	संविदा	04.12.2008

हितबद्ध कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे पन्द्रह दिनों में अपनी आपत्तियां, यदि हो तो इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि तदोपरान्त एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर अन्तिम संयुक्त पात्रता सूची जारी की जा सके।

Vimal

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)

**BRIDCUL (ब्रिडकुल)**

ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: अवस्थापना भवन, 583, राजकीय आईटीआई गिरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून— 248001



पत्रांक: II 23 / ब्रिडकुल-38/HR/26

दिनांक: 21 / 07 / 2026

श्री मुकेश चन्द्र उप्रेती,
लेखाकार,
परियोजना इकाई कार्यालय,
ब्रिडकुल,
पिथौरागढ़।

विषय:— विनियमितिकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 के अन्तर्गत विनियमित किए जाने के सम्बन्ध में।

आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 में “नियम 4 का संशोधन” अनुसार “नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, सांवेदा, नियत वेतन, अंशकालिक तथा तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे जिन्होंने दिनांक 04.12.2018 तक इस रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली है, जिसके सम्बन्ध में आपके पद संवर्ग में आपकी संयुक्त अनन्तिम पात्रता सूची निम्नानुसार है:—

क्रम सं०	नाम	श्रेणी	शैक्षिक अर्हता	मैरिट	नियुक्ति पत्र सं० एवं दिनांक	निगम में योगदान तिथि	जन्म तिथि	ज्येष्ठता क्रम
1	श्री मुकेश चन्द्र उप्रेती	सामान्य	M.Com	V	कार्यालय ज्ञाप पत्रांक सं०— 247 / उ०रा०अ०वि ०नि०लि०—०८ दिनांक 06.11.2008	04.12.2008	25.06.1974	1

उपरोक्त के सम्बन्ध में यदि आपको किसी भी विषय पर कोई दावा या आपत्ति हो, तो पत्र के दिनांक से 15 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दावे या आपत्ति को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि उक्त दावे या आपत्ति का निराकरण चयन समिति द्वारा यथाशीघ्र 7 दिनों के भीतर पूर्ण कर आपके विनियमितिकरण हेतु अन्तिम पात्रता सूची जारी की जा सके।

Kamal

(कमल कुमार सैनी)
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)